<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 133 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-25 / 02 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504003692014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

संजू पिता फूलचंद झाड़े, उम्र 32 वर्ष, निवासी अंधारिया, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 01.05.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.12.2014 को समय 11:15 बजे ग्राम अंधारिया बस स्टेंड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी अविनाश को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.12. 2014 को अंधारिया बस स्टेंड पर खड़ा था तभी अभियुक्त आया और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और मादरचोद तुने कल लगेज ज्यादा क्यों ली कहकर हाथ मुक्का से मारा तथा पीठ पर बांये तरफ मुंह दांत से चाब दिया। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कृ. 158/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.12.2014 को समय 11:15 बजे ग्राम अंधारिया बस स्टेंड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी अविनाश को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 अविनाश (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि ग्राम अंधारिया बस स्टेंड की सुबह 10.30—11.45 बजे की है। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ पैर से खींचातानी किया और उसकी कॉलर पकड़कर मारपीट की तथा उसकी पीठ पर दांतों से काट दिया। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री—2) का मौका नक्शा तैयार किया था।
- 7 सुरेश (अ.सा.—2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए प्रकट किया है कि घटना के समय लगेज की बात को लेकर अभियुक्त ने फरियादी को धक्का दे दिया था जिससे अविनाश गिर गया था और अभियुक्त ने अविनाश को पीठ एवं सीने पर काट दिया था।
- 8 साक्षी नारायण (अ.सा.—3) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।
- 9 प्रशांत शर्मा (अ.सा.—4) ने दिनांक 19.02.2014 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 158/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा दिनांक 21.02.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 10 साक्षी अविनाश (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसे पकड़कर खींचा था एवं अभियुक्त उसके उपर गिर गया था

जिससे गिरने से उसे किसी चीज से चोट आ गयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे दांत से नहीं काटा था। स्वतः में साक्षी ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की थी। साक्षी सुरेश (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने अविनाश के साथ मारपीट की थी परंतु साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने अविनाश को सीने एवं पीठ में काटा था। स्वतः में साक्षी ने प्रकट किया है कि झूमा झटकी में गिरने से किसी चीज से अविनाश को चोट आयी थी। इस प्रकार फरियादी अविनाश (अ.सा.—1) एवं सुरेश (अ.सा.—2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटने के संबंध में कथन किये हैं परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटे जाने की बात को गलत बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षी अपने कथनों में स्थिर नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ खीचातानी कर मारपीट करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी अविनाश को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त संजू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)